न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/206 दायरा दिनांक : 09.09.2025

उनवान

1. महावीर आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल
2. हनुमान आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल, जाति बलाई,
निवासीगण ग्राम बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी हाल ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज० .... अपीलांट

बनाम

1. मृतक रामनारायण आत्मज कल्याणमल जी महाजन जरिये कायम मुकामान :–
1/1–गिरिर्राज प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/2–महावीर प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/3–कैलाशचन्द आत्मज स्वर्गीय रामनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/3/1–उषारानी बेवा कैलाशचन्द
1/3/2–कल्पित पुत्र स्वर्गीय कैलाशचन्द
1/3/3–प्रगति पुत्री स्वर्गीय कैलाशचन्द
1/4–शिव प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/5–रूपेन्द्र आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/6–राधा पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/7–कमलेश पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/8–शीला पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
2. बच्छराज आत्मज कल्याणमल महाजन
3. रामेश्वर आत्मज बद्रीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
3/1–सहोदरा देवी बैवा रामेश्वर
3/2–अशोक पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/3–राकेश पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/4–उर्मिला पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/5–सावित्री पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/6–कृष्णा पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
4. जगदीश आत्मज बद्रीलाल महाजन मृतक जरिये कायम मुकामान :–
4/1–गिरिजा बेवा जगदीश महाजन
4/2–राजेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/3–दिनेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/4–नन्दू बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/5–रूकमणी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/6–गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
जाति महाजन, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी राज०
5. प्रहलाद आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
6. गोपाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
7. मोतीलाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
7/1–चमेली बैवा मोतीलाल
7/2–राजेश पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
7/3–पिंकी पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
7/4–गायत्री पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
जाति बलाई, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ हाल सोगरिया, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लाडपुरा, जिला कोटा राज०

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी व राजकीय अभिभाषक

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025/207 **दायरा दिनांक : 09.09.2025**

उनवान

1. प्रहलाद आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
2. गोपाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
3. मोतीलाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   3/1–चमेली बैवा मोतीलाल
   3/2–राजेश पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
   3/3–पिंकी पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
   3/4–गायत्री पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
   जाति बलाई, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ हाल सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. मृतक रामनारायण आत्मज कल्याणमल जी महाजन जरिये कायम मुकामान :–
   1/1–गिरिर्राज प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
   1/2–महावीर प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
   1/3–कैलाशचन्द आत्मज स्वर्गीय रामनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/3/1–उषारानी बेवा कैलाशचन्द
   1/3/2–कल्पित पुत्र स्वर्गीय कैलाशचन्द
   1/3/3–प्रगति पुत्री स्वर्गीय कैलाशचन्द
   1/4–शिव प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
   1/5–रूपेन्द्र आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
   1/6–राधा पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
   1/7–कमलेश पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
   1/8–शीला पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
2. बच्छराज आत्मज कल्याणमल महाजन
3. रामेश्वर आत्मज बद्रीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   3/1–सहोदरा देवी बैवा रामेश्वर
   3/2–अशोक पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
   3/3–राकेश पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
   3/4–उर्मिला पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
   3/5–सावित्री पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
   3/6–कृष्णा पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
4. जगदीश आत्मज बद्रीलाल महाजन मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   4/1–गिरिजा बेवा जगदीश महाजन
   4/2–राजेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
   4/3–दिनेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
   4/4–नन्दू बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
   4/5–रूकमणी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
   4/6–गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
   जाति महाजन, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी राज०
5. नाथूलाल आत्मज भूरा जी बलाई, निवासी बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ़ हाल सोगरिया मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   5/1–महाबीर आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5/2–हनुमान आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल
5/3–कल्याणी बाई बेवा स्वर्गीय नाथूलाल (मृतक डिलीट)
जाति बलाई, निवासीगण बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी हाल ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी व राजकीय अभिभाषक

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 20.01.2026

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर, लाखेरी के प्रकरण संख्या – 199/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में नाथूलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 5 लगायत 7 के पिता स्वर्गीय मथुरालाल के कब्जे व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 675 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसके बाद भू–प्रबन्ध के नये खसरा नं. 1660 रकबा 15.02 बिस्वा, खसरा नं. 1661 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा बने है, जिसके पुनः भू–प्रबन्ध के बाद खसरा नं. 1660 के नये खसरा नं. 2253 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नं. 2254 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नं. 2255 रकबा 0.45 हैक्टर तथा खसरा नं. 1661 के खसरा नं. 2256 रकबा 2.32 हैक्टर बने है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर, लाखेरी ने अपने निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 14.12.2005 से दावा वादी खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2025/206 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह फैसला व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ तथ्य होते से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्जा मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। जबकि तनकी नम्बर 4 अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की है कि चूंकि वादी शिड्यूल कास्ट का व्यक्ति है जिस पर एडवर्स पजेशन का अधिकार नहीं मिलता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। गलत तौर पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा या ग्राम पंचायत या अन्य अधिकारी द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर देने मात्र से प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है और

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिना कानूनी आदेश के और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के यदि इन्तकाल तस्दीक हो भी जाता है तो ऐसे इन्तकाल से न तो खातेदार के विधिक अधिकार समाप्त होते हैं और न विरोधी पार्टी को यानि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना सरसरी तौर पर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है और फैसला व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये केवल बहस के लिये यह निवेदन करता है कि यदि कोई तहरीर बेचान की या अन्य प्रकार की प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती हो तो भी ऐसी तहरीर से अचल सम्पति के बाबत किसी प्रकार के कोई अधिकार मुन्तकिल नहीं होते हैं और तहरीर से केवल परमीसिव पजेशन ही साबित हो सकता है। जहाँ अनरजिस्टर्ड तहरीर हो और कब्जा तहरीरधारी का हो तो उससे कब्जा प्राप्त करने की मियाद दोडना शुरू नहीं होती है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही फरमाया है और विवेचन भी नहीं किया है। इसलिये फैसला व डिक्री और अपील निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के विरूद्ध प्रतिवादी का कब्जा किस तारीख से होस्टाईल हुआ इसका जिक्र न जवाब दावे में है, न बयानों में है। इस तरह दावा किसी भी सूरत में मियाद बाहर नहीं है तथा कब्जे के होस्टाईल होने की तारीख व साबित करने का भार प्रतिवादी पर होता है जो प्रतिवादी ने साबित नहीं किया है। इसलिये फैसला एवम् डिक्री जैर अपील निरस्तनीय है। अन रजिस्टर्ड बेचान यदि माने भी तो वह किसी प्रकार का टाईटल ट्रान्सफर नहीं करता है और अनरजिस्टर्ड डीड के आधार पर एडवर्स पजेशन नहीं होता है। यह पूर्णतया कानूनी मुद्दा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। यदि कोई तहरीर होती भी है तो वह केवल एग्रीमेन्ट को दर्शाती है और उससे प्रतिवादी को न तो टाईटल मिलता है और न एडवर्स पजेशन का कोई आधार ही बनता है। विकल्प में यह भी निवेदन है कि यदि पूर्व में कोई वाद नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के आधार पर खारिज भी हो गया हो तो ऐसे वाद का असर रेसज्यूडिकेटा का भी नहीं होता है और दूसरा दावा पेश करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अपितु इससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारान अब अपनी आपसी सहमति से भूमि मुतनाजा पर काबिज रहे हैं। इसलिये एडवर्स पजेशन या मियाद बाहर होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी के खाते में यदि सेटलमेन्ट विभाग ने खाते नाम लगा भी दी तो उससे कोई विधिक अधिकार रेस्पोडेन्टस को नहीं मिलते क्योंकि सैटलमेंट का कार्य बिना अधिकार का है। जो सैटलमेन्ट एन्ट्रीज में रद्दो बदल नहीं कर सकते हैं। वादी प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण का कब्जा पांती काश्त यानी पार्टनरशिप का बतलाकर आया है इसलिये प्रतिवादी रेस्पोडेन्टस का कानूनी दृष्टि से एक्सक्लूसिव पजेशन नहीं माना जा सकता है और वैसे भी पांती या मुनाफा से कब्जा रजामन्दी के आधार पर रहता है और ऐसा कब्जा कभी भी होस्टाईल पजेशन नही होता है और ऐसी सूरत में कब्जा प्राप्त करने की अवधि भी समाप्त नहीं होती है। इस सम्बन्ध में समस्त तथ्य रिकोर्ड पर होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया इसलिये फैसला व डिक्री जैर अपील निरस्त होने योग्य है। क्योंकि कनस्ट्रेक्टिव व सिम्बोलिक कब्जा अपीलान्ट का बदस्तूर रहा है। अपीलान्ट ने अपने वाद में स्पष्ट दर्ज किया है कि आराजी मुतनाजा बाबत प्रतिवादीगण द्वारा धोखे से अपने नाम दर्ज करवाने का ज्ञान उसे पटवारी द्वारा नकल प्राप्त होने पर 2002 में इस धोखे का ज्ञान हुआ इससे स्पष्ट है कि दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत हुआ है क्योंकि मियाद धोखे का खुलासा होने के बाद से दौडना शुरू होती है। इस प्रकार दावा किसी भी सूरत में कानूनी दृष्टि से एवम् तथ्यात्मक दृष्टि से मियाद बाहर नहीं है और वादी का दावा डिक्री योग्य होते हुये भी डिक्री नहीं करके व वादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को कब्जा नहीं दिलवाकर के अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है और डिक्री व फैसला निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व दावे के आधार पर वाद हेतु मानकर यानी सन 1975 से कब्जा मानकर दावा डिक्री होने योग्य नहीं माना है। जबकि परमीसिव पजेशन होने से एडवर्स पजेशन नहीं होता है और प्रतिवादी से भी उक्त पूर्व वाले वाद में यह कहीं अंकित नहीं किया कि किस दिन तारीख या आधार से उसका प्रतिकूल कब्जा शुरू हुआ और कब परिपक्व हुआ। इसलिये डिक्री व फैसला अधीनस्थ न्यायालय कानूनी संगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यदि किसी तहरीर में बेचान करना लिख भी दिया हो तो वह बेचान की परिभाषा में नहीं आता है और केवल इकरारनामा ही माना जा सकता है और जहाँ केवल इकरारनामा है तो उससे मियाद दोडना शुरू नहीं होती है इसलिये मियाद समाप्त होने का जो आधार अधीनस्थ न्यायालय में बतलाया है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से फैसला व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अमल में आने के समय मौजूद था और शिडुल कास्ट या शिडुल ट्राइप के व्यक्ति द्वारा बेचान कानूनी विरुद्ध माना हुआ है और बाद में संशोधन कर ऐसे बेचान को प्रभाव शुन्य घोषित किया है। इससे स्पष्ट है कि कानून की मन्शा शिडुल कास्ट, शिडुल ट्राइप के व्यक्तियों की सम्पति को सुरक्षा प्रदान करना है और प्रभाव शुन्य इकरारनामा से विरोधी पार्टी को किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त नहीं होता है। यानी शिडुल कास्ट की भूमि पर किसी को यदि एडवर्स पजेशन के आधार पर अधिकार नहीं दिये जाते हैं तो उसका एक मात्र कारण वही है कि ऐसे ट्रान्जेक्शन पर मियाद शुरू नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाते हुऐ उपरोक्त कानूनी आधारों पर अपील स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगणों को बेदखल कर कब्जा अपीलान्ट दिलवाया जावे।

अपील संख्या 2025/207 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 14.12.2005 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज करने में त्रुटि की है। जबकि प्रतिवादी नं. 5, 6, 7 ने जवाब दावा पेश कर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा माना है और तनकी नं. 4 अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की है कि वादी शिडयूल कास्ट का व्यक्ति है जिस पर प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं इसके बावजूद भी दावा वादी खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त विवादित भूमि शिडयूल कास्ट के व्यक्ति की है और उसे सवर्ण व्यक्ति को रहन व बेचान नहीं किया जा सकती और न अन्तरण की जा सकती है इस कारण भूमि को अपने कब्जे में रखने के अधिकारी है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय दावा डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि नाथूलाल व मथुरा लाल जी ने कभी भी उक्त भूमि को बेचान नहीं किया न कोई तहरीर व दस्तावेज ही आलेखित किया था। बल्कि नाथूलाल व मथुरालाल जी ने उक्त भूमि को 1332/– रूपये में केवल रहन रखी थी किन्तु कब्जा नाथूलाल व मथुरालाल जी का ही चला आ रहा था। इस बात की ताईद नामान्तरकरण सं. 5 दिनांक 21.05.1956 से होती है किन्तु नाथूलाल व मथुरालाल उक्त भूमि पर शिकमी मुस्त0 थे जिनको रहन रखने का अधिकार नहीं था इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण उक्त नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हो सका। इसके बाद नाथूलाल व मथुरालाल जी ने उक्त भूमि को रहन से छुडाली और बाद में रामनारायण व बद्रीलाल ने फर्जी बेचान की तहरीर तैयार कर उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करा लिया। जिससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस बात की नाथूलाल व मथुरालाल जी को कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण वादी नाथूलाल का दावा डिक्री करना चाहिए था किन्तु डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि यदि पूर्व में कोई वादी के अधिवक्ता ने पक्षकारान के बीच आपसी सहमति के आधार पर नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने से खारिज हुआ हो तो ऐसे वाद का असर रेसजूडिकेटा का भी नहीं होता है और दूसरा दावा पेश करने में कानूनी बाध्यता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर रेस्पोडेंट का हक तय करने हेतु निर्णय व डिक्री हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है, जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 ने गलत तरीके से उक्त फर्जी व अवैध बेचान की तहरीर जो अनरजिस्टर्ड है के आधार पर ग्राम पंचायत बडाखेडा से मिली भगत कर विवादित भूमि का इंतकाल अपने नाम खुलवाया जो अवैध है उक्त नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार इन्द्रगढ का स्पष्ट नोट अंकित है कि नामान्तरकरण नं. 376 तस्दीक नहीं किया जावे क्योंकि धारा 42 आर.टी.ए के अन्तर्गत गैर कानूनी है ऐसे नामान्तरकरण से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी डिक्री करना चाहिए था, किन्तु ऐसा न कर व कानूनी नियमों को ताक में रखकर दावा वादी खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि तथाकथित दस्तावेज बेचाननामा नहीं है बल्कि इकरारनामा है और इकरारनामा बेचान की परिभाषा में नहीं आता है तथा अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर एडवर्स पजेशन के अधिकार व होस्टाइल पजेशन के अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते है और न ही एस. सी. की भूमि पर सवर्ण को कब्जा बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। वादी नाथूलाल ने अपने वाद पत्र में प्रारम्भ से ही यह कथन किया है कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 को मुनाफे काश्त पर दी हुई है तथा वर्ष 2001–2002 में मुनाफा काश्त की रकम अदा नहीं करने पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर मियाद का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट दर्ज किया है कि आराजी मुतनाजा बाबत प्रतिवादीगण द्वारा धोखे से अपने नाम दर्ज करवाने का ज्ञान उसे पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर वर्ष 2002 में हुआ इससे स्पष्ट है कि दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत हुआ क्योंकि मियाद धोखे का खुलासा होने के बाद से शुरू होती है इस प्रकार दावा किसी भी सूरत में कानूनी दृष्टि से एवं तथ्यात्मक दृष्टि से मियाद बाहर नहीं है और वादी का दावा डिक्री होने योग्य होते हुए भी डिक्री न कर वादी को कब्जा नहीं दिलवा कर दावा खारिज करने में त्रुटि की है। धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अमल में आने के समय मौजूद था और शिड्यूल कास्ट या शिडयूल ट्राइब कर व्यक्ति द्वारा बेचान कानूनी विरूद्ध माना हुआ है और बाद में संशोधन कर ऐसे बेचान को प्रभावशून्य घोषित किया है। इससे स्पष्ट है कि कानून की मंशा शिडयूल कास्ट व शिडयूल ट्राइब के व्यक्तियों की सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है और प्रभाव शून्य इकरारनामा से विरोधी पार्टी को किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त नहीं होता है और न उस पर मियाद शुरू होती है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किये जाने योग्य है। वादी नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके रेस्पोडेंट नं. 5, 6, 7 वारिसान है इस कारण उनको पक्षकार बनाकर यह अपील पेश की जा रही है। उक्त निर्णय से अपीलांटान के अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना है इस कारण अपीलांटान उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलांटान यह अपील पेश कर रहे हैं। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुए विवादित भूमि रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के खाते से हटायी जाकर वादी नाथूलाल व मथुरालाल को व उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटान व रेस्पोडेंट नं. 5, 6, 7 वारिसान को खातेदार घोषित कर उनके खाते दर्ज की जावे तथा विवादित भूमि पर से रेस्पोडेंट को बेदखल कर अपीलांटान व रेस्पोडेंट नं. 5, 6, 7 को दखल/कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.07.2015 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट नाथूलाल ने 88, 89, 183–बी का दावा किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2005 को खारिज कर दिया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अदम तकमील में दावा खारिज कर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील अदम तकमील में खारिज होने की सूचना महावीर पुत्र नाथू को 2015 में होने पर महावीर ने दूसरी अपील पेश कर दी। महावीर पुत्र नाथू को पता चला कि उसके पिता नाथूलाल ने अपील की थी जो अदम तकमील में खारिज हो चुकी थी जिस पर नाथूलाल ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। महावीर ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से विड्रो कर ली। इसी प्रकार प्रहलाद ने भी एक अपील पेश की । नाथूलाल व मथुरालाल के नाम 30.03 बीघा आराजी थी। वादग्रस्त आराजी के सैटलमेंट से पूर्व खसरा नं. 675 रकबा 30.03 बीघा था तथा सैटलमेंट के बाद नये खसरा नं. 1660 रकबा 15.02 बीघा व खसरा नं. 1661 रकबा 15.02 बीघा बने, खसरा नं. 1660 रकबा 15.02 बीघा के नये खसरा नं. 2253 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नं. 2254 रकबा 0.80 हेक्टर व खसरा नं. 2255 रकबा 1.45 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हेक्टर बने। इसी प्रकार खसरा नं. 1661 रकबा 15.02 बीघा के नये खसरा नम्बर 2256 रकबा 2.32 हेक्टर बने। नाथूलाल ने दिनांक 22.01.2003 को दावा किया, नाथूलाल की जाति चमार है जो अनुसूचित जाति में आती है तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 की जाति महाजन खण्डेलवाल है जो सवर्ण जाति में आती है। नाथूलाल को वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने पांति काश्त पर दी थी। सन् 2001 में नाथूलाल ने पांति काश्त देना बन्द कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 5 लगायत 7 मथुरालाल के वारिसान है। इस प्रकार धारा 42 का उल्लंघन के आधार पर दावा पेश किया। प्रतिवादी कम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने खसरा नं. 675 में से पश्चिमी दिशा की आराजी का बेचान कर कब्जा दिनांक 30.07.1958 को पूर्वी दिशा की जमीन 1399/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था। बेचान अनरजिस्टर्ड है। इसके आधार पर अनुसूचित जाति की आराजी सवर्ण ने अपने नाम दर्ज करवा ली। सन् 1975 में हमारे पूर्वजों ने वादग्रस्त आराजी रहनमुक्ति/बेदखली का दावा किया था। प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा दिनांक 29.07.1977 को छोड़ दिया और हमें कब्जा संभला दिया था इस आधार पर हमने नो इन्स्ट्रक्शन कर दावा विड्रोल कर लिया था। प्रकरण में कुल 4 तनकीयात कायम हुई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 1, 2, 3 के बयान करवाये गये। दिनांक 30.07.1958 को मैने कोई बेचाननामा नहीं लिखा। प्रतिवादी में केवल रामेश्वर के ही बयान हुए हैं। दिनांक 02.08.1958 को पंचायत में इंतकाल नं. 376 खोला गया। दिनांक 02.08.1958 को नायब तहसीलदार ने नोट लगाते हुए नामान्तरकरण करने से मना किया कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति की है, इसके बावजूद भी वादग्रस्त आराजी खाते दर्ज है। प्रदर्श ए–1 व ए–2 बेचान के दस्तावेज हैं। बेचान के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में गवाहों के बयान नहीं हैं, ना ही स्वतंत्र गवाह है तथा कब्जे के सन्दर्भ में भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रदर्श ए–18 रहनमुक्ति वाला दावा (धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) तथा वर्तमान दावा धारा 88, 89, 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। अतः रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होता है। 100/–रूपये से अधिक का बेचान दस्तावेज रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति की है। तनकी नं. 4 एडवर्स पजेशन पर प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की है। घोषणा के दावे में लिमिटेशन लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 100, आर.आर.डी. 1982 पेज 103, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 226, आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151, आर.आर.डी. 1983 पेज 539, आर.आर.डी. 1983 पेज 64, आर.आर.डी. 1983 पेज 364, आर.एल.डब्ल्यू. 2025 (2) पेज 1142, डी.एन.जे. 2025 (1) पेज 245, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 624, डी.एन.जे. 2016 पेज 196, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 936, डी.एन.जे. 2016 (2) पेज 473, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1164, डी.एन.जे. 1999 पेज 83, आर.आर.डी. 2005 पेज 329, आर.आर.टी. 2008 (I) पेज 683, आर.आर.टी. 2015 (I) पेज 615, आर.आर.टी. 2006 (II) पेज 1360, आर.आर.डी. 2002 पेज 198, आर.आर.डी. 2007 पेज 856, आर.आर.डी. 1983 पेज 159, आर.आर.डी. 2002 पेज 345, आर.आर.टी. 2013 (I) पेज 1173, डी.एन.जे. 2008 (2) पेज 1021, आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (3) पेज 1848, आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (2) पेज 1090, डी.एन.जे. 2016 (4) पेज 1515, डी.एन.जे. 2011 पेज 1058, डी.एन.जे. 2016 पेज 517, ए.आई.आर. 1989 पेज 1809, डी.एन.जे. 2016 पेज 517, आर.आर.डी. 2005 पेज 242, डी.एन.जे. 2016 (2) पेज 734, आर.आर.डी. 2005 पेज 272, आर.आर.टी. 2005 (2) पेज 849, डी.एन.जे. 2016 (3) पेज 1150, आर.आर.डी. 2011 पेज 464 व आर.आर.डी. 2005 पेज 329 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि सन् 1958 में हमने वादग्रस्त आराजी खरीदी थी जिस पर हमारा कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मियाद है और लिमिटेशन एक्ट में भी मियाद है। दावे में यह अंकित नहीं किया वादग्रस्त आराजी रहन से मुक्त हो गयी थी और कब्जा प्राप्त कर लिया था। नाथूलाल ने जिरह में कब्जा स्वीकार किया है। तनकी नं. 1 में 12 वर्ष से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिक समय हो जाने से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दूसरा दावा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कब्जा प्राप्ति का था अतः दोनों भाइयों को दावा करना चाहिए था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत् दावा प्रस्तुत करने मियाद 12 वर्ष है, उक्त मियाद बाहर के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। महावीर ने दिनांक 23.08.2019 को अपील पेश की। दावा व अपील मियाद बाहर है। प्रहलाद के विरूद्ध कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं हुई है और प्रहलाद को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 821, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 907, आर.एल. आर. 1997 (2) पेज 695, आर.एल.आर. 1997 (2) पेज 298, सी.डी.आर. 2016 (3) एस.सी. पेज 750, 1997 (2) पेज 948, 2014 (2) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1261, ए.आई.आर. 2008 (एस. सी.) पेज 804, ए.आई.आर. 2008 (एस.सी.) पेज 1222, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 653, ए. आई.आर. 1987 (एस.सी.) पेज 88, The Rajasthan Tenaney Act, 1955 Sec 62-63 पेज 303–304, The Rajasthan Tenaney Act, 1955 Schedule-III पेज 842–846, SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 Sec 34 पेज 900, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया फुल बैंच उनवान स्टेट आफ पंजाब एण्ड अन्य बनाम गुरूदेव सिंह लिमिटेशन एक्ट, 1963–आर्टिकल 113 की नजीरे पेश की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, जिला बून्दी में वादी नाथूलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 5, 6, 7 के पिता मथुरालाल के कब्जे एवं खाते की आराजी खसरा नं. 675 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ है जिसके बाद भू–प्रबन्ध के नये खसरा नं. 1660 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1661 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा तथा पुनः भू–प्रबन्ध के बाद खसरा नं. 1660 के नये खसरा नं. 2255 रकबा 0.45 हैक्टर, तथा खसरा नं. 1661 के नये खसरा नं. 2256 रकबा 2.32 हैक्टर बने है। उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता मथुरालाल ने प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता को पांती पर काश्त करने को दी थी, जिसका मुनाफा वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 को देते रहे। प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा वर्ष 2001–2002 को पांती का मुनाफा वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता. 7 को प्रदान नहीं करने पर आराजी से कब्जा छोडने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो कानूनन नियम विरूद्ध है। वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 एस.सी. जाति के है और प्रतिवादी कम 1 ता 4 सवर्ण जाति के है। एस.सी. जाति की भूमि सवर्ण के नाम दर्ज हो जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत् नियम विरूद्ध है एवं प्रभाव शून्य माना गया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कम 5 ता 7 को वाद वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 का उक्त आराजी से नाम हटाया जावे। प्रतिवादी कम 1 ता 4 को उक्त आराजी से बेदखल कर वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 का कब्जा दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 ता 3 एवं 4/1 ता 4/6 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद वर्णित आराजी को हमने कभी भी पांति पर काश्त नहीं किया है ना कभी मुनाफा वादी को दी गयी है। जवाबदाता प्रतिवादी आराजी पर बहैसियत खातेदार वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 ता 3 एवं 4/1 ता 4/6 द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया है। आराजी का प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होने की जानकारी वादी को शुरू से ही थी। विशेष आपत्ति में प्रतिवादी कम 1 ता 3 एवं 4/1 ता 4/6 द्वारा बताया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता मथुरालाल ने खसरा नं. 675 में से पश्चिमी दिशा की 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कम 3 रामेश्वर एवं प्रतिवादी कम 4/1 के पति जगदीश को दिनांक 30.08.1958 को 1399/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था। आराजी का शेष रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा पूर्व दिशा की वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता मथुरा ने दिनांक 30.07.1958 को 1601/– रूपये में प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तभी से प्रतिवादी बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी काबिज काश्त है। बेचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 02.08.1958 से क्रेताओं के नाम राजस्व अभिलेख में आराजी दर्ज हुई है। अब वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता मथुरा द्वारा कब्जा वापिस लेने की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा आराजी पर से उनके समस्त हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादी का वाद लाने का कोई अधिकार नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 4 तथा कृपाशंकर पुत्र बद्रीलाल के विरूद्ध दिनांक 25.11.1975 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जा प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी कम 1 ता 4 का सम्वत 2013 से कब्जा होना स्वीकार किया एवं दिनांक 29.07.1977 को वादी एवं मथुरालाल के अभिभाषक द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर देने के कारण वाद खारिज हुआ था जिसे मथुरा एवं नाथू द्वारा रिस्टोर नहीं कराया। अतः प्रस्तुत दावा आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अन्तर्गत बाधित होने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है। दावा वादी अवधि बाधित है। दावा गलत एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत होने से मय हर्जाना खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 5 ता 7 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार किया गया।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय लाखेरी, जिला बूंदी द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2005 से अप्रसन्न होकर वादी नाथूलाल के वारिसान द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की तथा इसी निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी कम 5, 6 एवं 7 के वारिसान द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पृथक से अपील पेश कर कथन किया रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 ने गलत तरीके से उक्त फर्जी व अवैध बेचान की तहरीर जो अनरजिस्टर्ड है, के आधार पर ग्राम पंचायत बडाखेडा से मिलीभगत कर विवादित भूमि का इंतकाल अपने नाम खुलवाया जो अवैध है इस नामान्तरण पर नायब तहसीलदार का स्पष्ट नोट अंकित है कि नामान्तरण संख्या 376 तस्दीक नहीं किया जावे क्योंकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गैर कानूनी है

(दीप्ति सत्यवन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ऐसे नामान्तरण से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुए विवादित आराजी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के खाते से हटायी जाकर वादी नाथूलाल व मथुरालाल को व उनकी मृत्यु के बाद नाथूलाल के वारिसान एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को दखल/कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी नाथूलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 के पिता द्वारा विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता को पांति पर काश्त करने हेतु दी थी तथा हर वर्ष प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता द्वारा उक्त आराजी की पांति वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 5 ता 7 के पिता को दी जाती रही तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिताओं श्री कल्याणमल एवं बद्रीलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उक्त आराजी को पांति पर काश्त करते रहे और उसका मुनाफा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को देते रहे। वर्ष 2001–2002 से पांति का मुनाफा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को देने से मना कर दिया एवं भूमि पर से कब्जा छोड़ने से मना कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। साथ ही वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादीगणों ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया है, जो कानूनन नियम विरूद्ध है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 7 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 सवर्ण जाति के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 7 की आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरूद्ध है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम विवादित आराजी से हटाया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी व प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को दिलाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 एवं 4/1 ता 4/6 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नं. 675 की पश्चिमी दिशा की 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 3 रामेश्वर एवं प्रतिवादी क्रम 4/1 के पति एवं 4/2 ता 4/6 के पिता श्री जगदीश प्रसाद को दिनांक 30.07.1958 को 1399/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था एवं शेष आराजी रकबा 15.01 बीघा पूर्वी दिशा का दिनांक 30.07.1958 को 1601/– रूपये में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेचान कर कब्जा संभला दिया था। खरीद से ही निरन्तर विवादित आराजी खरीददारान के कब्जे काश्त में रही है। वर्तमान में भी विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 5 लगायत 7 के पिता मथुरालाल द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है और भूमि पर समस्त हक हकूक समाप्त हो चुके हैं। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 7 से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 व 4/1 लगायत 4/6 ने विवादित भूमि को कभी भी पांति एवं मुनाफा काश्त पर नहीं लिया एवं पांति, मुनाफे की कभी कोई राशि अदा नहीं की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जवाबदावे की विशेष आपत्ति की मद नं. 7 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 5 लगायत 7 के पिता श्री मथुरालाल जी ने प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 कमशः रामनारायण, बच्छराज, रामेश्वर व जगदीश प्रसाद के विरूद्ध तथा कृपा शंकर आत्मज श्री बद्रीलाल जी के विरूद्ध दिनांक 25.11.1975 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 का सम्वत 2013 से कब्जा होना स्वीकार किया था। उक्त वाद दिनांक 29.07.1977 को नाथू लाल व मथुरालाल के अभिभाषकों द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर देने के कारण खारिज फरमा दिया गया था। उक्त दावा वादी नाथूलाल व मथुरालाल द्वारा रेस्टोर नहीं करवाया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत यह दावा आर्डर 9, रूल 9 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत बाधित : बार्ड (Barred) होने के कारण मेनटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

वादी ने प्रस्तुत वाद महज प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से सर्वथा गलत तथ्यों एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 व 4/1 लगायत 4/6 द्वरा प्रस्तुत जवाबदावे के एवं प्रदर्श ए–1, ए–2 विक्रय तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता मथुरालाल द्वारा दिनांक 30.07.1958 को विवादित आराजी के बेचान की तहरीर प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित की गई। प्रदर्श ए–16 नामान्तरकरण पंजिका के अनुसार नामान्तरकरण सं. 376 प्रतिवादी कम 1 ता 4 के नाम दिनांक 02.08.1958 को तस्दीक किया गया। वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पक्ष में किया गया विवादित आराजी का बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधान के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है, परन्तु वादी द्वारा विक्रय की दिनांक 30.07.1958 के लगभग 45 वर्ष बाद दावा पेश किया गया एवं वाद कारण वर्ष 2001–2002 में पांति का मुनाफा प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा नहीं देने एवं कब्जा छोड़ने से मना करने से उत्पन्न होना वाद पत्र में अंकित किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। जहां एक अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में विक्रय किया जाता है, जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, तो उस भूमि का कब्जा अनुज्ञात्मक (Permissive) नहीं माना जा सकता, वरन धारा 42 (ख) के उल्लंघन में होने से वह विक्रय की तारीख से एक अतिचारी का कब्जा है। ऐसी स्थिति में वाद हेतुक अन्तरण (विक्रय) की दिनांक को उत्पन्न होगा, न कि उस तारीख से जिसको वह खातेदार कब्जा वापस मांगता है और वह क्रेता (अतिचारी) कब्जा देने से मना कर देता है। धारा 183 बी के तहत वाद दर्ज करने के लिए परिसीमा 12 वर्ष की है। वादी द्वारा लगभग 45 वर्ष बाद वाद दर्ज किया गया, जो परिसीमा से वर्जित है।

प्रदर्श ए–17, ए–18, ए–19 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पिता द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 4 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में वादग्रस्त भूमि के रहन मुक्ति एवं कब्जा दिलाने बाबत वर्ष 1975 में दावा प्रस्तुत था। दावे की मद नं. 8 में अंकित है कि दिनांक 10.11.1975 को प्रतिवादीगण को नोटिस दिया तथा वादग्रस्त आराजी को रहन से मुक्त करके कब्जा संभलाने की मांग की, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जमीन का कब्जा नहीं संभलाया है यही वाद कारण है। इससे स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 के मध्य वाद कारण वर्ष 1975 में ही उत्पन्न हो चुका था। यदि वर्ष 1975 में वाद कारण उत्पन्न होना स्वीकार किया जाये तब भी धारा 183 बी के तहत वादी द्वारा वाद दर्ज कराने की परिसीमा 12 वर्ष की अवधि वर्ष 1987 में समाप्त हो जाती है। वादी वर्ष 2003 में प्रस्तुत दावे के आधार पर विवादित आराजी से प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 एवं 4/1 लगायत 4/6 को बेदखल करवाने का अधिकारी नहीं है।

धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध निष्पादित विक्रय तहरीर के आधार पर प्रतिवादी कम 1 ता 4 एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को कोई हक, अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी कम 1 ता 4 एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही अमल में लाने का विधिक प्रावधान है परन्तु धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने की समय सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची में 30 वर्ष निर्धारित की गई है जबकि वादग्रस्त आराजी वर्ष 1958 में विक्रय की जा चुकी है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए–1 से ए–66 के अनुसार क्रय की तारीख से ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 4 काबिज काश्त है। धारा 63 (iv) के विधिक प्रावधानों के तहत भी वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 के विवेचन में यह माना है कि 1975 के बाद प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा रहा है जिसे 12 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से अब वादी प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं करा सकता। धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत बेदखली का दावा दर्ज कराने की परिसीमा अवधि 12 वर्ष होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/206 एवं 2025/207 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2025/206

1–महावीर आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल

2– हनुमान आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल, जाति बलाई, निवासीगण ग्राम बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी हाल ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०

..... अपीलांट

बनाम

1. मृतक रामनारायण आत्मज कल्याणमल जी महाजन जरिये कायम मुकामान :–

1/1–गिरिर्राज प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/2–महावीर प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/3–कैलाशचन्द आत्मज स्वर्गीय रामनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/3/1–उषारानी बेवा कैलाशचन्द
1/3/2–कल्पित पुत्र स्वर्गीय कैलाशचन्द
1/3/3–प्रगति पुत्री स्वर्गीय कैलाशचन्द
1/4–शिव प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/5–रूपेन्द्र आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/6–राधा पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/7–कमलेश पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/8–शीला पुत्री स्वर्गीय रामनारायण

2. बच्छराज आत्मज कल्याणमल महाजन
3. रामेश्वर आत्मज बद्रीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–

3/1–सहोदरा देवी बैवा रामेश्वर
3/2–अशोक पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/3–राकेश पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/4–उर्मिला पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/5–सावित्री पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/6–कृष्णा पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर

4. जगदीश आत्मज बद्रीलाल महाजन मृतक जरिये कायम मुकामान :–

4/1–गिरिजा बेवा जगदीश महाजन
4/2–राजेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/3–दिनेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/4–नन्दू बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/5–रूकमणी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/6–गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
जाति महाजन, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी राज०

5. प्रहलाद आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
6. गोपाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
7. मोतीलाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–

7/1–चमेली बैवा मोतीलाल
7/2–राजेश पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
7/3–पिंकी पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
7/4–गायत्री पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
जाति बलाई, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ हाल सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी व राजकीय अभिभाषक

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025/207

1. प्रहलाद आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
2. गोपाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल
3. मोतीलाल आत्मज स्वर्गीय मथुरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान

3/1–चमेली बैवा मोतीलाल

बनाम

1. मृतक रामनारायण आत्मज कल्याणमल जी महाजन जरिये कायम मुकामान :–

1/1–गिरिर्राज प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/2–महावीर प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/3–कैलाशचन्द आत्मज स्वर्गीय रामनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/3/1–उषारानी बेवा कैलाशचन्द
1/3/2–कल्पित पुत्र स्वर्गीय कैलाशचन्द
1/3/3–प्रगति पुत्री स्वर्गीय कैलाशचन्द

3/2–राजेश पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
3/3–पिंकी पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
3/4–गायत्री पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल
जाति बलाई, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ हाल सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०

..... **अपीलांट**

1/4–शिव प्रसाद आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/5–रूपेन्द्र आत्मज स्वर्गीय रामनारायण
1/6–राधा पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/7–कमलेश पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
1/8–शीला पुत्री स्वर्गीय रामनारायण
2. बच्छराज आत्मज कल्याणमल महाजन
3. रामेश्वर आत्मज बद्रीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
3/1–सहोदरा देवी बैवा रामेश्वर
3/2–अशोक पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/3–राकेश पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर
3/4–उर्मिला पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/5–सावित्री पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
3/6–कृष्णा पुत्री स्वर्गीय रामेश्वर
4. जगदीश आत्मज बद्रीलाल महाजन मृतक जरिये कायम मुकामान :–
4/1–गिरिजा बेवा जगदीश महाजन
4/2–राजेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/3–दिनेश पुत्र स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/4–नन्दू बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/5–रूकमणी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
4/6–गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश महाजन
जाति महाजन, निवासी बडा खेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी राज०
5. नाथूलाल आत्मज भूरा जी बलाई, निवासी बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ़ हाल सोगरिया मृतक जरिये कायम मुकामान :–
5/1–महाबीर आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल
5/2–हनुमान आत्मज स्वर्गीय नाथूलाल
5/3–कल्याणी बाई बेवा स्वर्गीय नाथूलाल (मृतक डिलीट)
जाति बलाई, निवासीगण बडाखेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी हाल ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी व राजकीय अभिभाषक

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2025/206 व 2025/207** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी/ सहायक कलेक्टर लाखेरी**

मु.द.नं **199/2003** निर्णय एवं डिक्री दिनांक **14.12.2005**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 01 सन् 2026

हाजरी **श्री जगदीश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2025/206 एवं 2025/207 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2005 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20** माह **01** सन् **2026** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.